न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :– बजरंग दास पुत्र रतनदास

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. चम्पादेवी पत्नि स्व. अर्जुनदास
2. मुरलीदास पुत्र अर्जुनदास

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री स्वंय स्वय वादी।
2. श्री प्रतिवादी प्रविवादीगण

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक :– 6/12/21

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 50, 62 रकबा 25-19 बीघा, सरहद मौजा हेमपुरा, तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादी नाबालिंग होने से बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम बजरंगदास पुत्र पोपदास होने से राजस्व रेकर्ड में बंजरंग दास पुत्र पोपधारस नाम दर्ज किया गया । जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाई[illegible] रेकर्ड में वादी का सही नाम बजरंगदास पुत्र रतनदास दर्ज है। वादी [illegible] फायदा [illegible] कठिनाईयो का अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का [illegible] सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में अ[illegible] गलत नाम इन्द्राज बजरंग दास पुत्र पोपादास के स्थान पर बजरंगदास पुत्र रतनदास सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:25:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या 1 की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम बजरंगदास पुत्र पोपदास के स्थान पर बजरंगदास पुत्र रतनदास दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच सहायक प्रभारी अधिकारी उप तहसीलदार जसोल से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा न0 50, 62 रकबा 24-19 बीघा .... सरहद मौजा डेमपुरा उप तहसीलदार ~~पचपदरा~~ जसोल वादी का नाम बचपन में लाड प्यार का नाम बजरंगदास पुत्र पोपदास दर्ज किया गया । वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत आकड़ियावास एवं उप तहसीलदार जसोल की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम बजरंगदास पुत्र पोपदास दर्ज किया गया है वादी का सही नाम बजरंग दास पुत्र रतनदास है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा मजमें आम में की जांच रिपोर्ट के आधार खेत खसरा नं 50, 62 रकबा 24-19 बीघा, वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम बजरंगदास पुत्र पोपदास के स्थान पर बजरंग दास पुत्र रतनदास घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 6/12/21 को शिविर आकड़ियावास में मजमें आम में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:25:46 IST
Reason: SelfAttested

227/21

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

केम्प कोर्ट.......भाण्डियावास

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
बजरंग दास रतनदास तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		1 चम्पादेवी पत्नि स्व. अर्जुनदास 2. मुरलीदास पुत्र अर्जुनदास राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री ......बजरंगदास.......वादी स्वंय मिनजानिब श्री ......चम्पादेवी...... पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं ......50, 62...... रकबा ......25-19...... बीघा, सरहद मौजा ......टेमपुरा...... ....

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ......बजरंग दास...... पुत्र ......पोपदास...... के स्थान पर ......बजरंगदास...... पुत्र ......रतनदास......खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ......6/12/21...... को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:25:46 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपया	पै.	मुददयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		